अंचल अधिकारी ...मनातू... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या— 13/11-12 मनातू

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074 / रा०, दिनांक—13.05.2016 सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक भू-अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—ख०म०नि०—119 / 85 / 2308 / रा०, दिनांक—03.09.1985 एवं सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914 / रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

मौजा— ...डोरिसा... थाना— ...मनातू 3... खाता संख्या— ...79... प्लॉट संख्या— .299 ...रकबा— 22 1/2 ... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या— .... के पृष्ठ संख्या— ...104/4... पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 19/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनातू

Bi Sec 5 New Awaidh Jamabandi.docx

आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
	2	3
09/01/25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–मनातू में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–79, प्लौट सं0–299 रकबा– $0.22\frac{1}{2}$ ए0 पर चिन्ता देवी पति राजेन्द्र राम का दखल कब्जा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया। जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 206/02–03 के अंतर्गत दिनांक 11.07.03 को मौजा–मनातू थाना सं0–392 के अन्तर्गत उक्त खाता सं0– 79, प्लौट सं0– 299/1 रकबा–$0.22\frac{1}{2}$ ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत चिन्ता देवी पति राजेन्द्र राम के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा–मनातू के मांग पंजी II के पेज सं0 104/10 पर दर्ज होकर वर्ष 2003–13 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर संदेहास्पद या अवैध जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई स्वमा.प्र. की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 09/01/25 अंचल अधिकारी, मनातू। 09/01/25 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अँचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय :- अवैध जमाबंदी केश नं० 81/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-मनातू जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता नं० 79 प्लॉट- 299 रकबा- 0.22 1/2 ए० पर चिन्ता देवी पति- राजेन्द्र राम का दखल कब्जा है। इनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदा० के बंदोबस्ती वाद सं० 206/02-03 के अन्तर्गत दिनांक- 11-7-03 को मौजा- मनातू खाता नं०- 79, प्लॉट- 299/1, नक्शा नं०- 392 के अन्तर्गत उक्त खाता उक्त रैयत चिन्ता रकबा- 0.22 1/2 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत चिन्ता देवी पति- राजेन्द्र राम के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा- मनातू के माँग पंजी-II के पेज नं० 104/10 पर दर्ज होकर वर्ष- 2003-13 तक राजस्व रसीद निर्गत है इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का -III

09/01/25
RSI-1 07

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ......151....../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम मिन्ता देवी प0 राजेन्द्र राम

ग्रा0 – मनातू

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ......मनातू...... थाना नं0........ खाता नं0......79... खेसरा नं0....299......रकबा0.22.....से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं साक्ष्यो की मूलु प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

30/4/2024

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.01.29 12:49:33 +05:30
Location: 192.168.84.97